

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

प्रलिस के लयः

[घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधनियम, 2005](#), [राष्ट्रीय परवार सवासुथय सरवेक्षण](#), [दहेज नषिध अधनियम 1961](#)

मेन्स के लयः

भारत में घरेलू हिंसा का समाधान करने वाले कानूनी ढाँचे, सामाजिक मानदंडों की भूमिका

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

दलिली उच्च न्यायालय ने हाल ही में [घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधनियम, 2005](#) (Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005) की सार्वभौमकता पर बल देते हुए कहा कि ये सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

- उच्च न्यायालय ने एक पति और उसके रश्तेदारों द्वारा दायर याचिका को खारज़ करते हुए ये टपिपणयिों की।
- याचिका में अपीलीय न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जसिने पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा की शकियात को बहाल कर दिया था।

भारत में घरेलू हिंसा कतिनी व्यापक है?

- भारत में 32% ववाहति महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने पतयिों द्वारा शारीरिक, यौन हिंसा या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है।
- **राष्ट्रीय परवार सवासुथय सरवेक्षण-5 (National Family Health Survey-5), 2019-2021** के अनुसार, “18 से 49 वर्ष की आयु के बीच की 29.3% ववाहति भारतीय महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का सामना किया है; 18 से 49 वर्ष की 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है।
 - यह तो केवल महिलाओं द्वारा दर्ज किये गये मामलों की संख्या है। अक्सर ऐसे कई लोग होते हैं, जो शकियात करने कभी पुलिस तक नहीं पहुँच पाते हैं।
- NFHS आँकड़ों के मुताबकि, वैवाहिक हिंसा की शकार 87% ववाहति महिलाएँ मदद नहीं मांगती हैं।

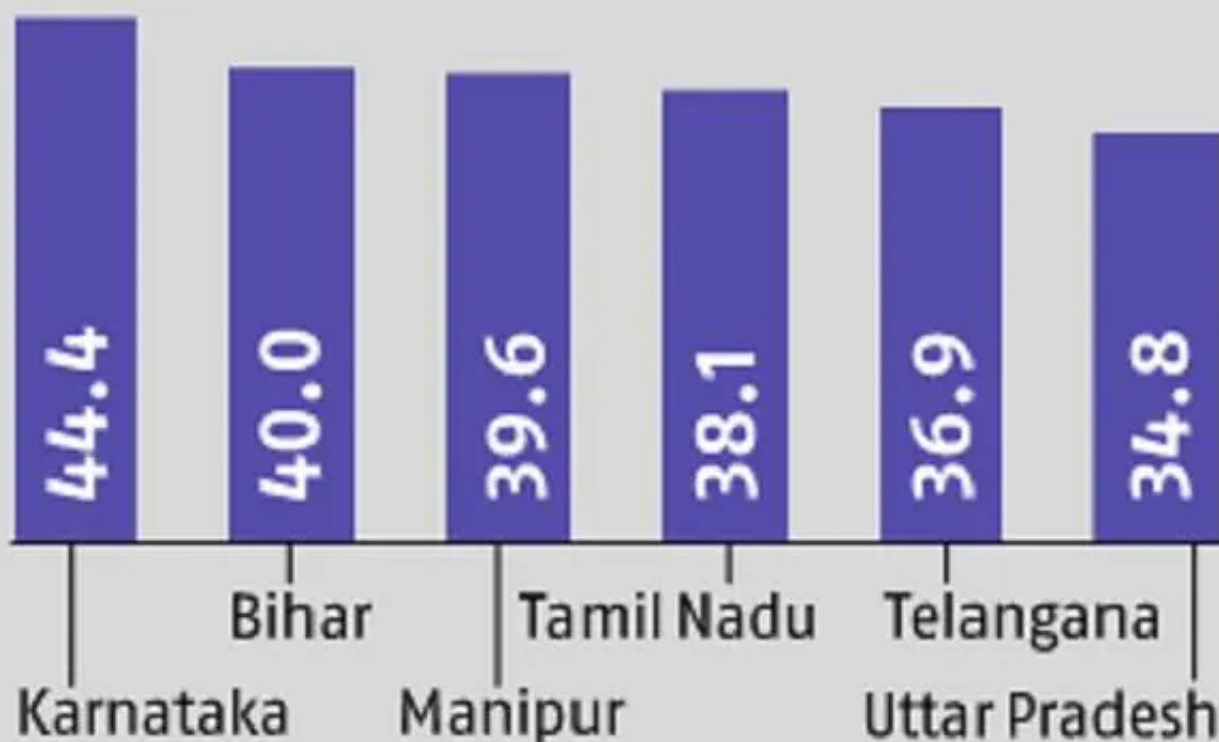
DOMESTIC VIOLENCE FACED BY INDIAN WOMEN

29.3
2015-16

31.2
2019-21

STATES WITH THE HIGHEST CASES OF DOMESTIC VIOLENCE

(Married women, 18-49, spousal violence)



Source: National Family Health Survey, 2019-21

घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

- लैंगिक असमानताएँ:

- वैश्विक सूचकांक में परिलक्षित भारत का व्यापक [लैंगिक असमानता](#) पुरुष प्रधानता और अधिकार की भावना में योगदान देता है।

- पुरुष प्रभुत्व जताने और अपनी कथति श्रेष्ठता को मज़बूत दिखाने के लिये हिसा का प्रयोग कर सकते हैं।
- **मादक पदार्थों का सेवन:**
 - शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग जो नरिणय को बाधति करता है और हसिक प्रवृत्तको बढ़ाता है। **नशा करने** से संकोच समाप्त हो जाता है और आपसी झगड़े बढ़कर शारीरिक या मौखिक दुरव्यवहार में परिवर्तित हो जाते हैं।
- **दहेज प्रथा:**
 - घरेलू हिसा और **दहेज प्रथा** के बीच एक मज़बूत संबंध होता है, दहेज की अपेक्षाएँ पूरी न होने पर हिसा की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।
 - दहेज पर रोक लगाने वाले कानून जैसे **दहेज प्रतषिध अधनियम 1961** के बावजूद, दुल्हन को जलाने और दहेज से संबंधित हिसा के मामले जारी हैं।
 - वत्तीय तनाव और नरिभरता की गतशीलता जो संबंधों में तनाव को बढ़ाती है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक मानक:**
 - पारंपरिक मान्यताएँ एवं प्रथाएँ लैंगिक भूमिकाओं और घरेलू शक्ति असंतुलन को कायम रखती हैं।
 - **पतिसत्तात्मक व्यवस्थाएँ** महिलाओं पर पुरुष सत्ता और नरियंत्रण को प्राथमिकता देती हैं। हिसा अक्सर महिलाओं के शरीर, शर्म और प्रजनन अधिकारों पर स्वामित्व की धारणा से उत्पन्न होती है, जो प्रभुत्व की भावना को मज़बूत करती है।
 - असुरक्षा या अधिकार से उपजी एक साथी पर प्रभुत्व और नरियंत्रण की इच्छा।
 - सामाजिक अनुकूलन अक्सर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मज़बूत करते हुए, महिलाओं के लिये वविाह को अंतमि लक्ष्य के रूप में चत्तरति करती है।
 - भारतीय संस्कृति अक्सर उन महिलाओं का गौरवान्वत्ति करती है जो सहषिणुता और समर्पण का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें अपमानजनक संबंधों को छोड़ने से हतोत्साहित करती हैं।
- **सामाजिक आर्थिक तनाव:**
 - गरीबी और बेरोज़गारी, परिवारों के भीतर अतरिक्त तनाव उत्पन्न करती है, जिससे हसिक व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे:**
 - अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ जैसे अवसाद, चत्ता या व्यक्तित्व विकार जो अस्थिर व्यवहार में योगदान करते हैं।
- **शिक्षा और जागरूकता का अभाव:**
 - स्वस्थ संबंधों की गतशीलता और अधिकारों की सीमति समझ, जिसके कारण अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार या सामान्य किया जा सकता है।
 - घरेलू हिसा के वरिद्ध कानूनी सुरक्षा या उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में अज्ञानता।
 - कई महिलाओं में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी होती है और वे अपनी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार करती हैं, जिससे कम आत्मसम्मान व अधीनता का चक्र कायम रहता है।

भारत में घरेलू हिसा को कौन-से कानूनी ढाँचे संबोधति करते हैं?

कानूनी ढाँचा	वविरण
घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधनियम, 2005 (PWDVA)	■ इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिसा, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है, से बचाना है। यह सुरक्षा, नविसा और राहत के लिये वभिनिन आदेश प्रदान करता है।
भारतीय दंड संहति, 1860 (धारा 498A)	■ यह किसी महिला पर पत्ता या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता को दर्शाता है, साथ ही क्रूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषति करता है।
<u>भारतीय साक्ष्य अधनियम, 1872</u>	■ यह अधनियम वशिष रूप से घरेलू हिसा पर केंद्रति नहीं है, फरि भी यह अधनियम घरेलू हिसा से संबंधित मामलों में प्रासंगिक कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य हेतु नयिम प्रदान करता है।
दहेज नषिध अधनियम, 1961	■ यह दहेज संबंधी अपराधों को संबोधति करता है। इसके अनुसार, दहेज देना या लेना अपराध है।
<u>दंड वधि (संशोधन) अधनियम, 2013 (धारा 354A)</u>	■ यौन उत्पीड़न से संबंधित नए अपराधों को शामिल करने के लिये IPC में संशोधन किया गया। यह घरेलू हिसा के मामलों में प्रासंगिक है।
<u>कशिोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधनियम, 2015</u>	■ बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है। यह तब प्रासंगिक है जब बच्चे घरेलू हिसा के शकिार होते हैं।
<u>राष्ट्रीय महिला आयोग अधनियम, 1990</u>	■ महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना की गई। NCW घरेलू हिसा को संबोधति करने में भूमिका नभिता है।
बाल वविाह प्रतषिध अधनियम, 2006	■ इसका उद्देश्य बाल वविाह को रोकना है। यह तब प्रासंगिक जब बाल वधुओं को घरेलू हिसा का सामना करना पड़ता है।
समलैंगिक संबंधों के संदर्भ में घरेलू दुरव्यवहार	■ वर्तमान कानून मुख्य रूप से वषिमलैंगिक संबंधों पर ध्यान केंद्रति करते हैं, जिससे समलैंगिक युगल बनिा कानून के घरेलू दुरव्यवहार के प्रतसिंवेदनशील होते हैं। ■ समलैंगिक वविाहों की मान्यता मौजूदा कानूनों को प्रभावति कर सकती है, संभावति रूप से समलैंगिक युगलों को सुरक्षा प्रदान करके, इन संबंधों में घरेलू दुरव्यवहार को संबोधति कर सकती है।

वैश्विक पहलें:

- **महिलाओं के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW):**
 - वर्ष 1979 में [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) द्वारा अपनाया गया, CEDAW जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है।
- **महिलाओं के वरिद्ध हिसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):**
 - DEVAW, 1993 महिलाओं के वरिद्ध हिसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय उपकरण था, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता था।
- **सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:**
 - यह पहल [यू.एन. वुमेन](#) द्वारा गठित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं (W&G) के खिलाफ यौन उत्पीड़न एवं अन्य प्रकार की हिसा को रोकना व उसपर प्रतिक्रिया देना है।
 - यह शहरी सरकारों, स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन:**
 - वर्ष 1995 का बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिसा को रोकने तथा प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है।

घरेलू हिसा के वरिद्ध कानून लागू करना चुनौतीपूर्ण क्यों है?

- **सामाजिक:**
 - पीड़ित प्रायः सामाजिक कलंक, प्रतیشोध के भय या पारिवारिक प्रतिष्ठा की चिंताओं के कारण घरेलू हिसा की रिपोर्ट नहीं करते हैं। यह चुपपी अधिकारों हेतु कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण बना देती है।
 - घरेलू हिसा की घटनाएँ अक्सर कम ही दर्ज की जाती हैं। पीड़ित कुछ व्यवहारों को दुरुव्यवहार के रूप में नहीं पहचान पाते हैं या उन्हें सामान्य बना लेते हैं।
- **जागरूकता का अभाव:**
 - पीड़ितों सहित कई लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों से अनभिज्ञ हैं। पर्याप्त जागरूकता के अभाव में मामलों की रिपोर्ट करना तथा अधिक सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **निरभरता और आर्थिक कारक:**
 - पीड़ितों की अपने साथ दुरुव्यवहार करने वालों पर आर्थिक निर्भरता एक अन्य समस्या है। आर्थिक दुष्परिणामों के भय से वे कानूनी सहायता लेने से बचते हैं।
- **अपर्याप्त कार्यान्वयन और प्रशिक्षण:**
 - इस बात की भी काफी संभावना बनती है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक निकायों में घरेलू हिसा के मामलों के निपटान के लिये उचित प्रशिक्षण का अभाव हो। ऐसे में कानूनों का असंगत कार्यान्वयन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- **वधिक बाधाएँ:**
 - न्यायालय में घरेलू हिसा को साबित करने के लिये ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है। गवाहों अथवा भौतिक साक्ष्यों की कमी से मामला कमजोर पड़ सकता है।
- **पारिवारिक समस्याएँ:**
 - घरेलू हिसा अक्सर परिवार से संबंधित होती है। वधिक कार्रवाइयों के कारण पारिवारिक रिश्ते खराब होने का विचार कर पीड़ित व्यक्ति वधिक सहायता प्राप्त करने में झिझकते हैं।
- **सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएँ:**
 - घरेलू दुरुव्यवहार की धारणा और इसपर प्रतिक्रिया कई सांस्कृतिक मानदंडों एवं प्रथाओं से प्रभावित होती है।
 - प्रवर्तन रणनीतियों में इन विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

आगे की राह

- लैंगिक आधार पर भूमिकाओं एवं शक्तियों के संबंध में विचारधाराओं में परिवर्तन लाना एक मूलभूत शर्त है। परस्पर सम्मान को बढ़ावा देने तथा समाज में व्याप्त पतिसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन के लिये पुरुष-महिलाओं पर केंद्रित पहलें आवश्यक हैं।
- तदभूत को बढ़ावा देने के लिये कानून प्रवर्तन, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट जैसे हतिधारकों के लिये लैंगिक परिप्रेक्ष्य से प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- पूरी न्यायालयी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को नःशुल्क अथवा कम लागत वाले वधिक सहायता तक पहुँच की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- उत्तरजीवियों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु रोजगार संबंधी प्रशिक्षण व वित्तीय साक्षरता कौशल की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

प्रश्न. घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारत में कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक व वधिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली 'बीजगि घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजगि डक्लिरेसन ऐंड प्लैटफॉर्म फॉर ऐक्शन)' नमिनलखिति में से क्या है? (2012)

- (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से नपिटने की एक कार्यनीति (स्ट्रेटजी), शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) की बैठक का एक परिणाम
- (b) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कार्य-योजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच (एशिया-पैसफिक इकनॉमिक फोरम) के वचार-वमिर्श का एक परिणाम
- (c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजति वशि्व सम्मेलन का एक परिणाम
- (d) वन्यजीवों के दुर्व्यापार (ट्रैफकिगि) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शखिर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समटि) की एक उद्घोषणा

उत्तर: (c)

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीडन के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से नपिटने के लयि कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

प्रश्न. भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थति को पतितंत्र (पेट्रिआर्की) कसि प्रकार प्रभावति करता है? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/protection-of-women-from-domestic-violence>

